राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासेन कॉम्पलैक्स, सैक्टर–29, फरीदाबाद–121008
NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS EXCISE & NARCOTICS
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACEN Complex, Sector-29, Faridabd-121008
फोन /Telephone : 0129-2504652-54
फैक्स / Fax : 0129-2504632

फा.सं. IV/स्था./36/01/2016-नासेन 1137 से 1364

दिनांक : 04/05/ .2016

परीक्षा की सूचना

वर्ष 2016-17 हेतु अवर श्रेणी लिपिक/हैड हवलदार से कर सहायक के संदर्भ में पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा

1. वर्ष 2016-17 हेतु अवर श्रेणी लिपिक से कर सहायक के संवर्ग में पदोन्नति परीक्षा 20.07.2016 को आयोजित की जाएगी ।
2. परीक्षा में नियमानुसार दो (2) प्रश्नपत्र होंगे :-

क्र.सं.	प्रश्नपत्र	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	प्रश्नपत्र की तिथि एवं समय
1	प्रश्नपत्र-I	कम्प्यूटर प्रवीणता की सैद्धांतिक जॉच	50	25	20.07.2016 11.00 से 12.00 बजे
2	प्रश्नपत्र-II	कम्प्यूटर प्रवीणता की प्रायोगिक जॉच	50	25	20.07.2016 14.00 से 14.30 बजे

3. प्रश्नपत्रों हेतु मॉगपत्र सहायक निदेशक (परीक्षा), नासेन, फरीदाबाद के नाम 20.06.2016 तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए । इस अवधि के दौरान प्रश्नपत्रों हेतु किसी भी मॉग पर विचार नहीं किया जाएगा । सभी प्रश्नपत्रों को स्पीड़-पोस्ट द्वारा या, यदि ऐसा अनुरोध किया गया हो, तो किसी प्राधिकृत विशेष संदेशवाहक को भेजा जाएगा और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा भेजा जाएगा ।
4. प्रश्नपत्रों हेतु मॉगपत्र भेजते समय उन पर अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्तों के नाम, पते एवं दूरभाष/फैक्स नम्बर भी सहायक निदेशक (परीक्षा) को भेजे जाने चाहिऍं, जो परीक्षा लेने हेतु उत्तरदायी होंगे/जिन्हें प्रश्नपत्र भेजे जाने हैं ।
5. यह नोटिस नोव की वैबसाइट पर भी अपलोड किया जा रहा है । परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक भी देय समय में नासेन की वेबसाइट www.nacen.gov.in पर भी प्रदर्शित किए जाऍंगे ।
6. आयुक्तालय के अन्दर एकरुपता बनाए रखने के लिए, परीक्षा का परिणाम संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाएगा ।

7. नासेन, फरीदाबाद के पास किसी भी पूर्वी परीक्षा या किसी अभ्यर्थी की परीक्षा या किसी केन्द्र या केन्द्र के समूहों की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार है, यदि उसे यकीन हो कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया/ले जाने की अनुमति दी गई या किसी के साथ कोई पक्षपात/या अन्याय किया गया हो । ऐसे ही हालातों में, परिवीक्षक और पर्यवेक्षक अधिकारियों को अभ्यर्थी या अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पूरे केन्द्र की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है ।
8. इस परीक्षा सूचना के अविभाज्य भाग के तौर पर "परीक्षा हेतु अनुदेश" संलग्न है ।

यह सूचना अपर महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी की जाती है ।

<u>संलग्नक</u> : **अनुदेश (3 पृष्ठ)**

संजय शरण 04/05/2016
(संजय शरण)
अपर निदेशक (परीक्षा)

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को</u>:

1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी) ।
2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, निवारक (सभी) ।
3. मुख्य आयुक्त, सेवा कर (सभी) ।
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
5. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सभी) ।
6. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
7. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/निदेशक सी.बी.ई.सी. के अधीन (सभी) ।
8. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सेसटेट, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सभी) ।
10. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सभी) ।
11. आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी) ।
12. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
13. आयुक्त, सेवा कर (सभी) ।
14. आयुक्त, केनद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, परीक्षा (सभी) ।
15. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, परीक्षा (सभी) ।
16. आयुक्त, सेवा कर, परीक्षा (सभी) ।
17. आयुक्त, एल.टी.यू. (सभी) ।
18. भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर ।
19. मुख्य रसायनज्ञ, सी.आर.सी.एल. नई दिल्ली ।
20. अपर महानिदेशक, नासेन, क्षे.प्र.सं. (सभी) ।
21. वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई/सी नासेन ।

संजय शरण 04/05/2016
(संजय शरण)
अपर निदेशक (परीक्षा)

<u>परीक्षा हेतु अनुदेश</u>

1. परीक्षा में नियमानुसार दो (2) प्रश्नपत्र होंगे:

क्र.सं.	परीक्षा	विषय	अधिकतम अंक	उत्तीर्णांक	परीक्षा की तिथि एवं समय
1.	परींक्षा-I	कम्प्यूटर प्रवीणता पर सैद्धांतिक परीक्षा	50	25	20.07.2016 11.00 - 12.00 बजे
2.	परीक्षा-II	कम्प्यूटर प्रवीणता पर व्यावहारिक परीक्षा	50	35	20.07.2016 14.00 से 14.30 बजे

2. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी किसी अधिकारी को पर्यवेक्षक के तौर पर प्राधिकृत करेंगे, जो परीक्षा करवाने हेतु पूर्ण रुप से प्रभारी के तौर पर कार्य करेंगे । वह गोपनीयता रखने एवं परीक्षा को मुक्त एवं निष्पक्ष रुप से करवाने के लिए उत्तरदायी होगा । परीक्षा के दस्तावेजों वाले मुहरबंद कवर की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी इसे तुरंत खोलेगा और प्रश्नपत्रों वाले दो मुहरबंद लिफाफों की प्राप्ति को फैक्स द्वारा नासेन को फैक्स नं. 0129-2504632/2504615 या ईमेल nacenfbd.ist@gmail.com पर स्वीकार करेगा । प्रश्नपत्रों के दो (2) सैट वाले अंदर के लिफाफों को परीक्षा के समय से 10 मिनट पहले तक नहीं खोला जाना चाहिए । फोटोप्रतियों की अपेक्षित संख्या पर्यवेक्षक के निजी पर्यवेक्षण के अधीन गोपनीय रुप से की जाएँगी । परीक्षा की तिथि एवं समय और प्रश्नपत्रों के खोलने का समय अन्दर के लिफाफों पर वर्णित है । प्रत्येक सैट के केवल दो प्रश्नपत्र संलग्न हैं ताकि पारगमन के दौरान लिफाफों का रहस्य न खुल सके । पर्यवेक्षक द्वारा परीक्षा सुचारु रुप से करवाने के लिए एक निरीक्षक चुना जाए और नासेन मुख्यालय को परीक्षा के तुंरत बाद मुहरबंद लिफाफे में आबंटित अनुक्रमांकों के अनुसार क्रमानुार व्यवस्थित करके उत्तर-पुस्तिकाएँ और उपस्थिति शीट भेजा जाना अपेक्षित है ।
3. कार्य में पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक जारी करना, परीक्षा में उपस्थित हो रहे अधिकारियों हेतु बैठने की व्यवस्था करना, उत्तर-पुस्तिकाओं जैसे मानक स्टेशनरी की आपूर्ति एवं अत्यंत गोपनीयता से उसकी निगरानी में प्रश्नपत्रों की फोटोप्रतियाँ करना शामिल है ।
4. निरीक्षक और पर्यवेक्षक, परीक्षा करवाने में गोपनीयता, निष्पक्षता एवं अनुशासन बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनुचित माध्यम परीक्षा केन्द्र में या उसके आस-पास न हो, जिससे कि कुछ को अतिरिक्त लाभ मिले और कुछ के लिए नुकासनदेह हो । समस्त प्रक्रिया सभी को न्याय देने के विचार से बनाई व की जाएगी । नासेन मुख्यालय के पास समस्त परीक्षा या किसी व्यक्तिगत अभ्यर्थी की परीक्षा या किसी केन्द्र या केन्द्रों के समूहों की परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, यदि परीक्षा प्रक्रिया में कुछ भी अनुचित माध्यम पाया जाता है । यह

पर्यवेक्षक या निरीक्षक के खिलाफ भी, यदि अपेक्षित हो तो, अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशँसा कर सकता है ।

5. उत्तर-पुस्तिकाओं में निम्नलिखित विवरण मुद्रित या रबड़ की मुहर के रुप में होंगे:-
   1) परीक्षा का नाम
   2) अनुक्रमांक
   3) केन्द्र का नाम
   4) परीक्षा की तिथि एवं समय
   5) पेपर एवं विषय का नाम
   6) प्रयोग की गई खुली उत्तर-पुस्तिकाएँ
   7) निरीक्षक के हस्ताक्षर (इस बात के प्रमाण के तौर पर कि अभ्यर्थियों द्वारा सूचना ठीक से भरी गई है)
   8) प्राप्त अंक एवं
   9) परीक्षक के हस्ताक्षर
6. उत्तर-पुस्तिका के सामने वाले भाग में अभ्यर्थियों को मुद्रित रुप में या लगाई गई रबड़ की मुहर के रुप में यह भी सूचित किया जाएगा कि अपना नाम/पहचान जाहिर करने की कोशिश करता है और किन्हीं अनधिकृत स्त्रोतों से नकल करने जैसे अनुचित माध्यम में संलिप्त पाया जाता है या परीक्षा के दौरान अन्दर या बाहर किसी के साथ उत्तर जानने हेतु बातचीत करते हुए या अभ्यर्थियों का ऐसा व्यवहार जिसे निरीक्षक/पर्यवेक्षक द्वारा नकल करना समझा जाता है, तो नासेन उनकी परीक्षा रद्द कर देगा ।
7. अभ्यर्थियों की पात्रता संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और परीक्षा को आयोजित करवाने के अलावा किसी भी स्प्ष्टीकरण का इस कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा । परीक्षा की प्रक्रिया/के आयोजन से सम्बंधित कोई भी पत्राचारश्री एस.के. दत्ता, सहायक निदेशक (परीक्षा) या श्री जे.आर. मीणा, अधीक्षक (परीक्षा), नासेन, सैक्टर-29, फरीदाबाद-121008 से किया जाए । फैक्स सं. 0129-2504632/2504615, दूरभाष सं. 0129-2504612(कार्यालय) ।
8. नासेन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों एवं परिणाम को, स्थापना अभिलेखों का संरक्षक होने के नाते भर्ती के विनियमों के अनुसार वेबसाइट (www.nacengov.in) पर प्रकाशित करेगा और लगा् अनुदेशोंको, यदि कोई हों, को, मंत्रालय/बोर्ड द्वारा समय-समय पर अ;जा./अ.ज.जा. एवं ओ.बी.सी. को रियायत देते हुए, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी या सी.सी.ए. द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को सूचित करते हुए, घोषित किया जाएगा ।

9. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा हाल के अन्दर या इसके आस-पास मोबाइल फोन और ऐसे इलैक्ट्रानिक गैजेट परीक्षा के दौरान पूर्णतया प्रतिबंधित हैं और इन्हें अनुचित माध्यम को अपनाने के तौर पर समझा जाएगा ।
10. अभ्यर्थियों को किसी भी सूरत में पहले तीस मिनटों के अन्दर हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है चाहे उन्होंने पेपर पूरा हल कर लिया हो और परीक्षा की अवधि के दौरान पहले 30 मिनटों के बाद भी किसी तर्कसंगत आधार पर एक समय केवल एक ही व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति होगी ।
11. प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिन्दी में होंगे । अभ्यर्थियों के पास उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प है ।
12. पेपर-I की उत्तर-पुस्तिकाएँ, अच्छी तरह से बॉध कर परीक्षा के तुरंत बाद नासेन, फरीदाबाद को भेजी जाएँगी और पेपर-II की उत्तर-पुस्तिकाएँ (कम्प्यूटर प्रवीणता पर व्यावहारिक परीक्षा) को आयुक्तालयों/निदेशालयों द्वारा जॉचा जाएगा और जॉची गई उत्तर-पुस्तिकाओं के साथ अंक नासेन, फरीदाबाद को भेजे जाएँगे ।

यह अपर महानिदेशक (परीक्षा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संजय शरण
04/05/2016
(संजय शरण)
अपर निदेशक (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:

1. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी) ।
2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, निवारक (सभी) ।
3. मुख्य आयुक्त, सेवा कर (सभी) ।
4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
5. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सभी) ।
6. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
7. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/निदेशक सी.बी.ई.सी. के अधीन (सभी) ।
8. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सेसटेट, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सभी) ।
10. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सभी) ।
11. आयुक्त, सीमा शुल्क (सभी) ।
12. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सभी) ।
13. आयुक्त, सेवा कर (सभी) ।

14. आयुक्त, केनद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, परीक्षा (सभी) ।
15. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, परीक्षा (सभी) ।
16. आयुक्त, सेवा कर, परीक्षा (सभी) ।
17. आयुक्त, एल.टी.यू. (सभी) ।
18. भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर ।
19. मुख्य रसायनज्ञ, सी.आर.सी.एल. नई दिल्ली ।
20. अपर महानिदेशक, नासेन, क्षे.प्र.सं. (सभी) ।
21. वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु आई/सी नासेन ।

संजय शरण 04/05/2016

(संजय शरण)
अपर निदेशक (परीक्षा)